फर्द अहकाम

छोटूराम बनाम ग्राम पं. विजयमुकुन्दपुरा, अर्ज हीरावाला।

न्यायालय S.D.O. Bassi

संख्या 13/22 2022/476

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	06/06/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं पूर्व बहस पर मनन पश्चात अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06/06/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

अपील संख्या 13/2022 जी.सी.एम.एस नं0 2022/476 दर्ज तिथिः–20.10.2022

अपील अन्तर्गत धारा 75, भू0राज0 अधिनियम विरूद्व आज्ञा नामान्तकरण संख्या 570 दिनांक 29.03.2022 जो कि ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला द्वारा स्वीकृत किया गया है।

अपीलाण्ट

1. छोटूराम आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र कुशला जाति मीना निवासी ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेण्टस

1. ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला, पं0सं बस्सी तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. मोती देवी पत्नी चन्द्रभान मीना जाति मीना निवासी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

उपस्थितिः–

अपीलाण्ट
अपीलान्ट अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा व श्री विनोद कुमार शर्मा।

रेस्पोडेन्ट
रेस्पोडेण्ट संख्या 2
अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा।

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद पत्र संख्या 146/16 उनवानी छोटू व अन्य बनाम चन्द्रभान व अन्य बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। उनवानी वादपत्र में विवादित भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि को लेकर विवाद है। खसरा नम्बर 50 वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा का प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूप से विभाजन करवा लिया है। विभाजन के पश्चात उक्त नवीन खसरा नम्बर 50/228 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 50/229 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 50/233 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 50/234 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा कायम कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमिवादग्रस्त में से खसरा नम्बर 50/228, 50/233 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2898 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर का अन्तरण जरिये उपहार पत्र दिनांक 11/02/2022 के अपनी धर्मपत्नी मोती देवी के नाम निष्पादित कर उपपंजीयक कार्यालय बस्सी के यहां पंजीबद्ध करवाया है, जिसका नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में 570 दिनांक 21.04.2022 को स्वीकृत किया गया है। उक्त अन्तरण विचाराधीन वाद एवं स्थगन आदेश के प्रभावी होने के दौरान अवैधानिक रूप से किया गया है तथा बिना न्यायालय की अनुमति से किया गया है, जो प्रारम्भत् शून्य एवं बेअसर कार्यवाही है तथा बमुकाबले वादी क्लेअदम बेअसर है। विवादित भूमि का दौराने दावा का अन्तरण हो जाने से अन्तरिती श्रीमती मोती देवी को कोई हक व अधिकार बमुकाबले अपीलार्थी सृजित नहीं होते है। अपीलार्थी के द्वारा यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है। अपील के आधार हैः– अपीलार्थी निर्णय/आज्ञा विधि एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित पारित किये जाने के कारण किसी भी अवस्था में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी नामान्तकरण में वर्णित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/228, 50/233 जो कि मूल खसरा नम्बर 50 वाके ग्राम हीरावाला से कायम किये गये है, के खातेदारी इन्द्राज को लेकर नियमित वाद उनवानी छोटूराम व अन्य बनाम चन्द्रभान व अन्य सक्षम न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के यहां सन 2013 से लम्बित चला आ रहा है। जो कि साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है। जिसमे दावा दायरी की दिनांक से माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाकर दावे के निर्णय तक कन्फर्म चला आ रहा है, स्थगन का अंकन जमावन्दी पर दर्ज चला आ रहा है तथा स्थगन का अंकन उपपंजीयक कार्यालय के स्टे रजिस्टर में दर्ज चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति चन्द्रभान उक्त वाद पत्र में नियमित रूप से जरिये अधिवक्ता पैरवी करते चले आ रहे है। जिन्हे माननीय न्यायालय के द्वारा अरथाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया था कि वे विवादित आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति दावे के निर्णय तक यथावत बनाये रखे। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ड संख्या 1 के पति ने न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना करते हुये अपनी धर्मपत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दौराने दावा एवं दौराने स्थगन उपहार पत्र निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया तथा उपहार पत्र के आधार पर अपीलाधीन

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण तस्दीक करवाया। अपीलाधीन नामान्तकरण स्थगन आदेश की अवहेलना में दर्ज कर स्वीकृत किये जाने के कारण किसी भी अवस्था में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण आफ्टर थॉट के रूप में उपहार पत्र निष्पादित करवाकर स्वीकृत करवाया गया है, जिसका एक मात्र अवैध उद्देश्य अपीलार्थी/वादी को अपूर्णीय क्षति कारित करना मात्र है, जिसमें वे कानूनन कामयाब नहीं हो सकते है। उक्त स्थगन आदेश उपहार पत्र पर दर्ज किये जाने के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा उपहार पत्र का नामान्तरकण दिनांक 29.03.2022 को दर्ज किया गया। जबकि स्थगन आदेश की अवहेलना में ना तो उपहार पत्र पंजीबद्ध किया जा सकता था और ना ही उसका नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन नामान्तकरण को दर्ज किये जाने का दिनांक 07.03.2022 है तथा भू.अ.नि. क्षैत्र की जांच रिपोर्ट पर दिनांक 04.03.2022 अंकित है तथा हल्का पटवारी के हस्ताक्षर दिनांक 29.03.2022 को किया जाना अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त अंकन सन्देह उत्पन्न करता है। उक्त नामान्तकरण दिनांक 21.05.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसे वाद में कांट छांट कर दिनांक 21.04.2022 किया गया है। कानूनन नामान्तकरण दर्ज किये जाने से 30 दिवस के भीतर ही ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उक्त नामान्तकरण भू.अ.नि. क्षेत्र की रिपोर्ट दिनांक 04.03.2022 से 46 दिवस पश्चात स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध स्वीकृत किये जाने से किसी भी अवस्था में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत को विवादित सम्पत्ति के नामान्तकरण को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी अधिकारों के विवाद बावत् लम्यित होने के बावजूद ग्राम पंचायत ने ना तो अपीलार्थी को सूचना सुनवाई का अवसर प्रदान किया और ना ही विवाद बाबत् कोई जांच की , सम्पूर्ण कार्यवाही अपने आपको सदोष लाभ पहुचाने की गरज से आनन–फानन में सम्पादित की गयी तथा भ्रष्ट आचरण अपनाते हुये स्टे आदेश के बावजूद नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने समस्त कार्यवाही अपने पति से साज कर गुपचुप में सम्पन्न करवायी है तथा अपीलार्थी को उक्त कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं होने दी। अपीलार्थी को हाल ही में उक्त अवैधानिक कार्यवाही की जानकारी दिनांक 15.09.2022 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर हुयी है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा समस्त दस्तावेजात की नकल लेकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। यदि अपील पेश करने में कोई विलम्ब हुआ है तो उसकी माफी हेतु अपीलार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है तथा माननीय न्यायालय की अनुतति से यह अपील श्रीमान की सेवा में पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 570 दिनांक 29.03.2022 जो कि ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला द्वारा स्वीकृत किया गया है को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर अपीलान्ट/रेस्पोण्डेटस को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर नहीं आने पर रेस्पोण्डेटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोण्डेटस संख्या 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने पर सुनवाई पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर रेस्पोण्डेटस संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा वकालतन उपस्थित आये। प्रकरण में रेस्पोण्डेट 2 द्वारा लिखित प्रार्थना बहस पेश कर अवगत करवाया कि पक्षकारों के खातेदारी अधिकार मूल वाद में तय होंगे। वर्तमान में चन्द्रभान खसरा नम्बर 50/228, 50/233 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2898 है0 का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार था, अतः उसने अपनी पत्नी के नाम विधि सम्मत तरिके से उपहार पत्र करवाया है। मूल वाद छोंटू बनाम चन्द्रभान में उक्त उपहार पत्र व नामान्तकरण संख्या 570 के मध्यनजर आदेश 6 नियम 17, आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के माध्यम से मूल वाद में मोता देवी को पक्षकार बनाया जा चुका है। अतः छोटू व मोती देवी के अधिकार मूलवाद में तय होगें। दोनों ही नियमित वाद में पक्षकार बन चुके है, ऐसी स्थिति में उक्त अपील सारहीन होने से निरस्तनीय है। कानूनन जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो समरी प्रोसिग्स की अपील को स्थगित कर दिया जाना चाहिए ताकि वाद बाहुल्यता नही बढ़े तथा विभिन्न न्यायालयों में अलग अलग निर्णयों से बचा जा सके। अतः अपीलान्ट की अपील मूल वाद में मोती देवी को पक्षकार बनाये जाने के बाद सारहीन होने से निरस्त कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।
प्रकरण पर बहस अपीलान्ट अधिवक्ता की सुनी गई।

प्रकरण पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रतिलिपी ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला के नामान्तकण संख्या 570 दिनांक 29.03.2022, प्रतिलिपी खसरा नम्बर 50/228, 50/233 रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 15.09.2022, प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2067–70 खसरा नम्बर 50/228, 50/233, 153/230, 50/229, 50/234 ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा, प्रतिलिपी न्यायालय स्थगन उनवानी छोटूराम बनाम चन्द्रभान मु0 न0 11/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2015 इत्यादि को अवलोकन पश्चात् हम पाते है कि अपीलान्ट व रेसपोडेन्टस के मध्य विवादित भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में से 1 बीघा वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा को लेकर विवाद है। खसरा नम्बर 50 वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा का प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूप से विभाजन करवा लिया है। विभाजन के पश्चात उक्त नवीन खसरा नम्बर 50/228 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 50/229 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 50/233 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 50/234 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा कायम कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि पर बावजूद

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय स्थगन आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि वादग्रस्त में से खसरा नम्बर 50/228, 50/233 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2898 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर का अन्तरण जरिये उपहार पत्र दिनांक 11/02/2022 के अपनी धर्मपत्नी मोती देवी के नाम निष्पादित कर उपपंजीयक कार्यालय बस्सी के यहां पंजीबद्ध करवाया है, जिसका नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में 570 दिनांक 21.04.2022 को स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत नामान्तकरण बावजूद जमाबन्दी में न्यायालय स्थगन नोट के हल्का पटवारी द्वारा भरे जाने एवं ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला द्वारा नामान्तकण संख्या 570 दिनांक 29.03.2022 को तस्दीक किया गया है, विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होता है, बल्कि विवादित भूमि के नामान्तकरण के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि पर बावजूद न्यायालय स्थगन आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि वादग्रस्त में से खसरा नम्बर 50/228, 50/233 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2898 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर का अन्तरण जरिये उपहार पत्र दिनांक 11/02/2022 के आधार पर ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला द्वारा गिफ्ट डीड के आधारा पर नामान्तकण संख्या 570 दिनांक 29.03.2022 को विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर गैर विधिक रूप से तस्दीक किया होना प्रतित होने से उक्त नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहिन है। न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणा का दावा विचाराधीन है, तो वह घोषणा के दावे के माध्यम से चाराजोही करे। फलस्वरूप ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला द्वारा नामान्तकण संख्या 570 दिनांक 29.03.2022 की क्रियान्विति दावा के निस्तारण स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। अतः

–:आदेश:–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण न्यायहित में स्वीकार की जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरंपच ग्राम पंचायत विजयमुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 50/228, 50/233 रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के आधार पर तस्दीक नामान्तकण संख्या 570 दिनांक 29.03.2022 की क्रियान्विति वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन दावा के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है। तहसीलदार बस्सी को नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों।

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner